

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर (राज.)

बडी रोड, देवाली पोस्ट बॉक्स न. 161, फोन 0294-2800009

Email ID -dcfwludz@gmail.com

क्रमांक: एफ 9()सर्वे/उवसं/वजी/2022-23/9926 दिनांक: 09/12/2023
निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव उदयपुर

विषय: Proposal no. : FP/RJ/WATER/151001/2022, Name of Project :
AUGMANTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND
LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF
THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW
PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO
UDAIPUR के एफ.सी.ए.प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग: नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक 5670-71 दिनांक 18.04.2023 के
क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि जन स्वास्थ्य
अभियांत्रिक विभाग द्वारा जयसमन्द वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम, 1980
के अन्तर्गत एफ.सी.ए. क्लियरेंस का प्रस्ताव Proposal no. : FP/RJ/WATER/151001/2022,
Name of Project : AUGMANTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND
LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING
PIPELINE OF 600 MM DIAMETER के संबंध में आक्षेपों की पूर्ति करने हेतु लिखा गया है
जिसके क्रम में आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेपों की पूर्ति
1	यूजर एजेन्सी द्वारा के.एम.एल.में वन/अभ्यारण्य सीमा एवं मंडलवार अपलोड नहीं की गयी है। उदयपुर वन्यजीव जिसमें तीन पैच बनाये गये हैं, उनका क्षेत्रफल 0.8577 हैक्टेयर एवं हाईटेंशन लाईन 0.5912 जो कि आवेदित क्षेत्रफल 0.8586 हैक्टेयर से कम है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न DGPS map में कानर्स पाइंट के कोर्डिनेट्स एवं चेनएज अंकित नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा नक्शा अपलोड कर दिया गया है।
3	यूजर एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।	यूजर एजेन्सी ने अवगत कराया गया कि 600 एमएम पाईपलाईन पूर्व में बिछायी गयी है उक्त लाईन पर ही 900 एमएम पाईपलाईन बिछायी जायेगी इस कारण से वैकल्पिक मार्ग नहीं दर्शाया गया है।
4	प्रस्ताव में झील से पानी लिया जा रहा है एवं अभ्यारण्य क्षेत्र में जी0एस0एस0 एवं अन्य कार्य भी किये जाने हैं ऐसी स्थिति में यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीव क्षेत्र में अभी आवेदन भी नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा वाईल्ड लाईफ क्लियरेंस हेतु आवेदन किया जा चुका है।
5	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कलक्टर द्वारा ग्राम मामादेय तहसील कुराक, 1.9637 है0 एवं विकास नगर तहसील खेसाड़ा में 0.15 है0 भूमि आवंटित की गयी है उक्त भूमि को एक स्थान पर नहीं लिये जाने के	यूजर एजेन्सी के द्वारा वृक्षारोपण हेतु आवेदन किया जा चुका है।

Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar
Designation: Deputy Conservator
Of Forests
Date: 2023.12.09 18:37:50
उपरोक्त प्रस्ताव को: Approved



6	कारण स्पष्ट किया जावे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संलग्न कर दी गई है।
7	पाइप लाईन कितने मी0मी0 की पानी की पाइप लाईन डाली जानी है स्पष्ट नहीं है एवं इसके क्रॉस सेक्शन संलग्न हीं है।	900 एमएम पाइपलाइन विछायी जायेगी
8	प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों अनुसार 33 kv Transmission Line डाली जानी प्रस्तावित है इस हेतु ROW 7 मीटर लिया गया है जबकि 15 मीटर लिया जाना प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में संशोधन कर 33 केवी लाईन को भूमिगत विछायी जाना प्रस्तावित किया गया है।
9	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्न नहीं की गयी हैं।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संलग्न कर दी गई है।
10	एरिया केलकुलेशन शीट में अभयारण्य क्षेत्र में वन/गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधन कर दिया गया है।
11	बार चार्ट में चेनऐज अंकित नहीं किये गये है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधन कर संलग्न कर दी गई है।
12	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में प्राप्त भूमि के DGPS map में वन सीमा इत्यादि का विवरण नहीं है। उक्त भूमि वन सीमा से काफी दूर है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधन कर संलग्न कर दी गई है।
13	DCF WL Udaipur द्वारा कोई वृक्ष प्रस्तावित क्षेत्र में आना नहीं दर्शाया गया है। जबकि संलग्न डिजीटल मानचित्र में वृक्ष का आना दिख रहा है। इसमें कितने वृक्षों का पालन किया जावेगा एवं कितने वृक्ष छंगाई किये जावेंगे, स्पष्ट किया जाना है।	वृक्षों का विवरण सूची में अपलोड कर दिया गया है।
14	DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट II के बिन्दू संख्या 5 में प्रस्तावित क्षेत्र के वन्यजीव प्रबंधन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के बफर एवं इको सेन्सिटिव क्षेत्र में आना दर्शाया गया है जबकि उक्त प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के अंदर स्थित है।	उक्त प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य की सीमा में स्थित होने के साथ-साथ जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य के इको सेन्सिटिव जोन की सीमा में भी स्थित होने के कारण दर्शाया गया है।
15	DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट II में एन0पी0वी0 गणना, प्रभावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति आदि संलग्न नहीं की गयी है।	गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न कर दी गयी है।
16	CCF WL Udaipur द्वारा पार्ट III में 2,1125 हे0 वन भूमि की अनुशंषा की गयी है। जबकि उनका प्रभावित वन क्षेत्र 1,2551 हे0 है।	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
17	CCF WL Udaipur द्वारा पार्ट III में कितनी वनभूमि हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है अंकित नहीं है।	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

इस कार्यालय के द्वारा सभी आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न कर श्रीमान् को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न : 3 प्रस्ताव की प्रतियां

Signature valid

RajKaj Ref
5153146

Digitally signed by अरुण कुमार
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.08 18:37:50 IST
Reason: Approved

(अरुण कुमार जी.)
उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर